

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी  
जिला अशोकनगर म0प्र0

आपराधिक प्रकरण क. 325 / 14  
संस्थित दिनांक-12.06.2014

|   |  |
|---|--|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-<br>आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।<br>.....अभियोजन  |  |
| <b>विरुद्ध</b>  |  |
| 1- रामकृष्ण पुत्र बादल सिंह धाकड उम्र 23 साल<br>निवासी- ग्राम मूंडरा कला तहसील पिपरई<br>जिला-अशोकनगर म0प्र0<br>.....आरोपी |  |
| राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ।<br>आरोपीगण द्वारा :- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।                             |  |

## : : नि र्ण य : :

(आज दिनांक 28.01.2017 को घोषित)

**01-** अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 456, 354(1)(क) भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि अभियुक्त रामकृष्ण ने दिनांक 18.05.2014 को थाना पिपरई अंतर्गत ग्राम मूंडराकला में समय करीब 2:00 बजे फरियादिया रूबी के घर में घुसकर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया रूबी जोकि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उससे शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं कर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

**02-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया रूबी ने अपने पति धनीराम व भाई आशाराम के साथ उप0 होकर थाना पिपरई में आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 18.05.2014 को फरियादिया रूबी के घर के सभी लोग गाँव की शादी में गये हुए थे। घर में रूबी की सास नमस्ताबाई थी जो रात में घर की छत पर सो रही थी और फरियादिया रूबी घर के आंगन में सो रही थी। फरियादिया की घर की दीवाल टूटी होकर इस टूटी दीवाल पर से गाँव का रामकृष्ण फरियादिया रूबी को सोते में चूम लिया, जब फरियादिया की नींद खुली तो आरोपी भाग गया, फरियादिया ने सोचा कि उसके पति शायद शादी से वापस आ गये होंगे, फरियादिया फिर से सो गई, तो उक्त व्यक्ति फिर बुरी नियत से आया, तो फरियादिया ने अपनी सास को आवाज दी, आरोपी ने फरियादिया से कहा कि आवाज मत दे, फिर भी फरियादिया ने आवाज दी। जब सास आई तो आरोपी

भाग गया। फिर सुबह अपने पति के साथ इस आशय की रिपोर्ट करने थाना पिपरई में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन धारा 161 द.प्र.स. के लेख किये, अभियुक्त को गिरफ्तार किया, तथा अनुसंधान की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**03—** अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य एवं परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं:—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.05.2014 को थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम मूडराकला में समय करीब 2:00 बजे फरियादिया रूबी के घर में घुसकर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादिया रूबी जोकि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उससे शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

**: : सकारण निष्कर्ष : :**

**05—** विचारणीय प्रश्न क्र० 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। रूबीबाई अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी रामकृष्ण को नहीं जानती है। घटना दो तीन साल पहले की है। घटना रात के 9-10 बजे करीब की है। वह अपने घर के आंगन में सो रही थी, कोई व्यक्ति आया और उसे चूम लिया, कौन व्यक्ति था उसे नहीं पता, उस समय उसके पति गाँव में शादी में गये थे। वह रात में यह नहीं देख पाई कि कौन व्यक्ति उसके पास आया था। उस समय उसके घर पर उसकी सास नमस्ताबाई थी जो छत पर उपर सो रही थी। उसने यह बात अपनी सास को बताई थी। घटना के दूसरे दिन वह, अपने पति, भाई के साथ रिपोर्ट करने थाना पिपरई गई थी। प्र.पी. 1 का आवेदन उसने पिपरई थाने में दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाने में प्र.पी. 2 की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके घर घटना के बाद कोई कार्यवाही करने नहीं आया था। फिर कहा कि दरोगा जी गाँव में कार्यवाही करने गये थे उस समय प्र.पी. 3 की लिखा पढी करके उसके हस्ताक्षर कराए थे। प्र.पी. 3 ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दरोगा जी ने घटना के संबंध में पूछताछ कर बयान लिये थे।

**06—** अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी रामकृष्ण ही उसके घर पर टूटी दीवार पर से आया था। इस बात से इंकार किया कि उसने आरोपी को घटना दिनांक को पहचान लिया था। यह बात सही है कि उसने अपनी सास को आवाज दी थी। इस बात से इंकार किया कि आरोपी ने उससे यह कहा था कि वह अपनी सास को आवाज न दे। स्वतः कहा उसने आरोपी को नहीं पहचाना था। प्र.पी. 1 में उसके बी से बी भाग का कथन लेखबद्ध नहीं कराया था, किस प्रकार लेखबद्ध हुआ है वह कारण नहीं बता सकती। उसकी सास ने आरोपी के संबंध में संदेह व्यक्त किया था, उसका नाम नहीं लिखाया। इस बात से इंकार किया कि उसने अपने पुलिस कथन प्र.पी. 4 का ए से ए भाग का कथन दिया था पुलिस ने कैसे लेख कर लिया कारण नहीं जानती। इस बात से इंकार किया कि वह आरोपी को पहले से जानती थी। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा कर लिया है। इस बात से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह आरोपी को बचाने के लिये असत्य कथन कर रही है।

**07—** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी श्रीमती नमस्ताबाई अ0सा02 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना दिनांक को वह घर की छत पर सो रही थी और उसकी बहू रूबी नीचे आंगन में खाट पर सो रही थी। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है वह तो सो रही थी। नमस्ताबाई अ0सा02 ने बताया कि उसकी बहू ने उसे बताया था कि कोई व्यक्ति आया था पर कौन व्यक्ति आया था उक्त साक्षी को इस बात की जानकारी न होना व्यक्त किया। घटना दिनांक को कोई मौजूद नहीं था सभी लोग शादी में गये थे। नमस्ताबाई अ0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि उसने घर में घुसने वाले व्यक्ति को नहीं देखा। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित करा कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया कि उसकी बहू ने उसे बताया था कि रामकृष्ण टूटी दीवार तरफ से आ गया था और उसके साथ छेड़छाड़ कर से चूम लिया था। इस बात से भी इंकार किया कि बहू रूबी द्वारा उसे जगाने पर साक्षी ने रामकृष्ण को भागते हुए देख लिया था। अभियोजन के इस सूझाव से भी इंकार किया कि रूबी ने उसे बताया था कि आरोपी बुरी नियत से घर में घुस आया था और आवाज देने पर आरोपी ने आवाज देने से मना किया था।

**08—** अभियोजन साक्षी धनीराम अ0सा03, धीरज सिंह अ0सा04 ने आरोपीगण को जानने वाली बात बताई किन्तु उक्त साक्षीगण ने घटना के संबंध अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने अभियोजन कहानी का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया। इस प्रकार अभियोजन साक्षी धनीराम अ0सा03, धीरज सिंह अ0सा04 के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

**09—** रूबी अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं पीडित है ने अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि कोई व्यक्ति आया और उसे चूम लिया, कौन व्यक्ति था उसे नहीं पता। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना पिपरई में की थी तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी रामकृष्ण ही उसके घर

पर टूटी दीवाल पर से आया था। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि आरोपी को घटना दिनांक को पहचान लिया था। रूबी अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि प्र0पी01 का आवेदन उसकी हस्तलिपि में नहीं है और न ही उसने इसे बोलकर लिखाया है।

**10—** अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी नमस्ताबाई अ0सा02, धनीराम अ0सा03 एवं हरिनारायण अ0सा04 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानते हैं घटना करीब 2-3 साल पहले की होकर रात 9-10 बजे की है। कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया था और रूबी के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति आरोपी रामकृष्ण था। इस बात से भी इंकार किया कि रूबी द्वारा उक्त साक्षीगण को आरोपी रामकृष्ण द्वारा घर में घुसने एवं चूमने वाली बात बताई थी। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत रूबी जोकि प्रकरण में स्वयं पीडित है एवं अन्य साक्षीगण ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है।

**11—** उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। कि अभियुक्त ने दिनांक 18.05.2014 को थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम मूडराकला में समय करीब 2:00 बजे फरियादिया रूबी के घर में घुसकर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया तथा फरियादिया रूबी जोकि एक स्त्री है, की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उससे शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त **रामकृष्ण पुत्र बादल सिंह धाकड निवासी ग्राम मुदडाकला थाना पिपरई** को भा.द.वि. की धारा 456, 354(1)(क) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**12—** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**13—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0